11/3/26 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] विरुद्ध [illegible] [illegible]
किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]
आदेश पत्रावली [illegible] अतः पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] के [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया
गया

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. हल्की पत्नी छोटे आयु 31 साल जाति मीना निवासी भांडर
2. कैलाश पुत्र छोटे आयु 14 साल जाति मीना निवासी भांडर तहसील करौली जिला करौली जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता खुद हल्की पत्नि छोटे जाति मीना निवासी भांडर तहसील करौली जिला करौली (राज0)

वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र गणधर आयु 60 साल जाति मीना निवासी भांडर तहसील व जिला करौली (फौत)

1/1. गौरी देवी बेव बलराम

2. भंवर आयु 40 साल

3. छोटे आयु 38 साल

4. मनीराम आयु 36 साल

5. राधे आयु 33 साल

6. रामधन आयु 31 साल

7. लालाराम आयु 28 साल

8. तहसीलदार तहसील करौली लैण्डहोल्डर

9. श्रीमती खिलरो पत्नी लालपत जाति मीना निवासी वडापुरा तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 53, 88, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 44/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11/5/26 का सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

9/11

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रुपया	पैसे	मुददायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

9/11

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोट–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–44 / 09 तारीख रजु:–29.05.2009

उनवान

1. हल्की पत्नी छोटे आयु 31 साल जाति मीना निवासी भोडेर
2. कैलाश पुत्र छोटे आयु 14 साल जाति मीना निवासी भोडेर तहसील करौली जिला करौली जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माना खुद हल्की पत्नि छोटे जाति मीना निवासी भोडेर तहसील करौली जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र गंगाधर आयु 60 साल जाति मीना निवासी भोडेर तहसील व जिला करौली (फौत)

1 / 1. भौरी देवी बेव बलराम
2. भंवर आयु 40 साल
3. छोटे आयु 38 साल
4. मनीराम आयु 36 साल
5. राधे आयु 33 साल
6. रामधन आयु 31 साल
7. लालाराम आयु 28 साल
8. तहसीलदार तहसील करौली लैण्डहोल्डर
9. श्रीमती खिलरो पत्नी लालपत जाति मीना निवासी बडापुरा तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 53, 88, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :–11.5.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादिया नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 1 के पुत्र छोटे प्रतिवादी नंबर 3 की पत्नी है व वादी नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 3 का पुत्र हैं। जो नावालिग है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 7 के पुश्तैनी खातदारी व कब्जे की आराजी खसरा नंबर 97 रकवा 2 वीघा 8 विस्वा खसरा नंबर 106 रकवा 2 वीघा 9 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 4 वीघा 17 विस्वा ग्राम भौडेर पटवार हल्का खूबनगर एवं खसरा नंबर 145 / 2 रकवा 5 वीघा, खसरा नंबर 147 रकवा 10 विस्वा, खसरा नंबर 148 रकवा 9 विस्वा, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

149 रकव 15 विस्वा, खसरा नंबर 150 रकवा 6 विस्वा, खसरा नंबर 151/2 रकवा 5 वीघा, खसरा नंबर 152 रकवा 3 विस्वा, खसरा नंबर 153 रकवा 16 विस्वा कुल किता 8 कुल रकवा 12 वीघा 19 विस्वा ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर मे स्थित है। एवं खसरा नंबर 245 रकवा 2 वीघा 9 विस्वा , खसरा नंबर 343 रकवा 7 वीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 348 रकवा 7 वीघा 16 विस्व कुल किता 3 कुल रकवा 18 वीघा 1 विस्वा ग्राम तरौली पटवार हल्का मामचारी तहसील करौली में स्थित है। जो वादीगण के पूर्वज गंगाधर के भाई सुखदेव पुत्रान दुल्ली के समय की है। जिसमें वादीगण का 2/21 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 3 छोटे का 1/21 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 तथा 4 लगायत 7 का 6/7 वां हिस्सा है। वादीगण अपने 2/21 वां हिस्सा पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। वादीया की शादी प्रतिवादी नंबर 3 के साथ करीब 15 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुयी है और प्रतिवादीगण नं0 3 के नुत्फे से वादीया नं0 1 के वादी नंबर 2 कैलाश एक पुत्र पैदा हुआ है। प्रतिवादी नंबर 3 व प्रतिवादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 व 4 लगायत 7 के प्रभाव में है और वादीगण को विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण 1 ता 7 महरूम करने पर तुले हुये है विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संयुक्त सैदायिक संपत्ति है जिसमें वादीगण का 2/21 वां हिस्सा हैं। विवादित आराजीयात को प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 को रहन वय करने का कोई कानूनी अधिकार बिना बंटवारा कराये नही हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 आपस में साज किये हुये है। और विवादित आराजीयात को दिनांक 25.5.09 को ऐलानिया रहन वय करने की कहा है। वादीगण के मना करने पर आमादा फिसाद है। इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादीगण को प्रतिवादीगण नंबर 3 ने भरण पोषण करना बंद कर दिया है और कोई भरण पोषण खर्चा प्रतिवादी नंबर 1 व प्रतिवादी नंबर 1 व प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा वादीगण को नही दिया जा रहा है जिसके लिये वादिया ने न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम.करौली में प्रतिवादी नंबर 3 के विरूद्व भरण पोषण प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

ने वादिया को 600/–रूपये प्रतिमहा भरण पोषण राशि अदा करने को प्रतिवादी नं0 3 को आदेशित किया हुआ है फिर भी प्रतिवादी नंबर 3 ने वादिया को कोई गुजारा भत्ता राशि अदा नही की है विवादित आराजी वादीगण के 2/21 वां हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी है। और वादीगण अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। और वादीगण विवादित आराजी में अपने 2/21 वां हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण का अब विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नही है प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 वादीगण को हर प्रकार से आराजी लाभ से वंचित करने पर तुले हुये है। और वादीगण को फसल लाभ नही लेने देने पर उतारू है इसलिये वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा कराकर अलग से खातेदारी व लगान सेपरेट कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण के दिल में बदनियति आ चुका है और विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र नं0 1 से वादीगण के 2/21 वे हिस्से से वादीगण को महरूम करने पर तुले हुऐ है और प्रतिवादी 1 ता 7 विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्ति को रहन वय कर कर वादीगण को फसल लाभ नही लेने देने एवं आराजीयात से जबरन बेदखल करने कराने पर तुले हुऐ है। प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है जिससे वादीगण को भारी अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 25.5.09 को प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 द्वारा विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्ति को रहन वय करने की ऐलानिया कहने पर वादीगण के मना करने पर नही मानने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है अतः दावा म्याद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 6 का दिनांक 3.1.14 का जबाव बंद किया गया। **प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि** विवादित नंबर वाके ग्राम तरौली पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मामचारी में स्थित होना स्वीकार है। वाकी इबारत गलत हे और स्वीकार नही है। वादीगण का किसी भी प्रकार से हिस्सा स्वीकार नही है। नाही वादीगण का कोई कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादीगण का सजरा स्वीकार है। वादी हल्की ने पुनः दूसरी शादी नामाविवाह कर लिया है मद नंबर 3 गलत है स्वीकार नही हैं। चूंकि वादिया करौली में स्थायी रूप स रहती है। एवं करीबन 15 वर्ष से पति से बिना किसी युक्तियुक्त कारण से पृथक रहती है उक्त विवादित संपत्ति में वादीगण का कोई हक व हिस्सा शामिल नही है। दिनांक 25.5.09 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई ऐलानिया धमकी नही दी है दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। वादीगण को अदालत सी.जे.एम. कोर्ट करौली द्वारा 600/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता प्रतिवादी नंबर द्वारा आदेशानुसार दिया जा रहा है। वादीगण का ससुर व बाबा के नाम खातेदारी चली आ रही चूंकि खातेदारी अभी जीवित है इस कारण जीवित कृषक के जीवन पूर्व किसी भी प्रकार की हिस्सा मांगने की प्राधिकारी नही है। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें। छोटे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नं0 3 को अपनी भूमि का लाभ उठाता चला आ रहा है दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। दावा वादीगण विधि अनुसार चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है एवं **प्रतिवादी नंबर 9 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य नही है इस मद में दर्ज आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगणं की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है। वादीगण का उक्त आराजी से कोइ खातेदारी काश्तकार संबंध नही है नाही वादीगण का उक्त आराजी से कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है नाही वादीगा का उक्त आराजी पर कब्जा है नाही कभी पूर्व में रहा है। वादीगण का इस मद में दर्ज आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नही है। संपूर्ण आराजीयात एक मात्र प्रतिवादी संख्या 1 बलराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.5.19 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुझ प्रतिवादी संख्या 9 को अपनी जायज जरूरत घरेलू ख़र्च के लिये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विक्रय की जाकर कब्जा मुझ प्रतिवादी संख्या 9 को संभलवाया गया है। और तभी से उक्त आराजी मुझ प्रतिवादी संख्या 9 के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण ने उक्त आराजी में स्वयं का 2/12 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा होना गलत दर्ज किया है। उक्त सजरा के मुताबिक भी प्रतिवादी बलराम के जीवनकाल में और प्रतिवादी छोटे के जीवित रहते हुये प्रतिवादी बलराम की मृत्यु पर भी कोई पैदा नही होते हैं। विवादित आराजी एक मात्र प्रतिवादी नं0 1 बलराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। वादीगण का प्रतिवादी छोटे की पतनी व पुत्र होने मात्र से प्रतिवादी बलराम के जीवनकाल में वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार पैदा नही होते है। वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही है और विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अभिभाजित संयुक्त सदा की संपत्ति नही है वादीगण हिन्दू विधि से शाषित नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अनुसूचित जन जाति की महिला को उत्तराधिकार मे संपत्ति प्राप्त करने का कोई विधिक प्रावधान नही हैं और मुताबिक सजरा वादीया प्रतिवादी बलराम की पुत्र वधु तथा वादी कैलाश प्रतिवादी बलराम का पोता है। प्रतिवादी छोटे के जीवन काल में उक्त दोनो वादीगण को प्रतिवादी बलराम की किसी भी जायदाद में कोई विधिक अधिकार नही है। विवादित आराजी एक मात्र प्रतिवादी बलराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और प्रतिवादी बलराम को विवादित आराजी विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार रहा है तथ प्रतिवादी बलराम ने साधिकार प्रतिफल के बदले अपने जायज जरूरत के लिये विवादित आराजी मुझ प्रतिवादी नं0 9 को विक्रय कर कब्जा संभलवाया है। वादीगण का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नही है नाही कभी पूर्व में कब्जा रहा है। वादीगण ने दावा झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों पर पेश किया है। विवादित आराजी में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है नाही विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त हैं। ना ही उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी है वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवादित आराजी में किसी भी हिस्से की घोषणा कराने के अधिकार नही है। विवादित आराजी से वादीगण का कोई संबंध नही है कोई संयुक्त कब्जा है। वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नही रहा है। विवादित आराजीयात एक मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जो आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुझ प्रतिवादी को विक्रय की जा चुकी है जिस प्रकार मै प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हूं। विनाय मुखासमत दिनांक 25.5.09 को अथवा किसी अन्य दिवस को पैदा नही हुई। वादीगण ने दावा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया हे विवादित आराजी में वादीगण का कोई हक व हिस्सा कानूनन नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सैदायिकी संपत्ति नही है पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही है प्रतिवादी बलराम के जीवनकाल में किसी भी प्रतिवादी को विवादित आराजी में कोई हक हकूक नही है और प्रतिवादी बलराम को विवादित आराजी विक्रय करने का पूर्ण अधिकार रहा है। मुझ प्रतिवादी ने विवादित आराजी दिनांक 25.5.09 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय कर खरीद की है जो तथ्य रिकार्ड पर है और रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त कराये बिना दावा चलने योग्य नही है रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है और न्यायालय श्रीमानजी को उक्त बाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है इस कारण दावा खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः—

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र वादीगण प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इसमें वादीगण का 2/21 हिस्सा हैं। वादीगण अपने घोषणा खातेदारी कराने के अधिकार है। —वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2. आया वादीगण विवादित आराजीयात के 2/21 के खातेदार काश्तकार है। वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

——वादीगण

3. आया वादीगण विवादित आराजीयात के 2/21 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी है।

——वादीगण

4. आया दावा वादीगण बिना वयनामा निररत कराये चलने योग्य नही है।

——प्रतिवादीगण

5. आया दावा वादीगण पर उत्तराधिकार अधि0 1956 लागू नही होने से चलने योग्य नही है।

——प्रतिवादीगण

6. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादीया हल्की पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श 1 ता 3, सेंटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रदर्श 4 लगायत 6 पेश कर प्रदर्शित कराई है एवं पीडब्ल्यू–2 गवाह बृजबिहारी, पीडब्लयू–3 कैलाश के बयान लेखबद्व कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 बलराम एवं गवाह डीडब्ल्यू–2 रामस्वरूप, डीडब्ल्यू–3 खिलरो के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में वयनामा प्रदर्श ए–1 बहराम वहक खिलरो पेश किया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील उपभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादिया नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 1 के पुत्र छोटे प्रतिवादी नंबर 3 की पत्नी है व वादी नंबर 2 प्रतिवादी नंवर 3 का पुत्र हैं। जो नाबालिग है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 7 के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खसरा नंबर 97 रकवा 2 वीघा 8 विस्वा, खसरा नंवर 106 रकवा 2 वीघा 9 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 4 वीघा 17 विस्वा ग्राम भौडेर पटवार हल्का खूबनगर एवं खसरा नंबर 145/2 रकवा 5 वीघा, खसरा नंवर 147 रकवा 10 विस्वा, खसरा नंबर 148 रकवा 9 विस्वा, खसरा नंवर 149 रकव 15 विस्वा, खसरा नंबर 150 रकवा 6 विस्वा, खसरा नंवर 151/2 रकवा 5 वीघा, खसरा नंबर 152 रकवा 3 विस्वा, खसरा नंवर 153 रकवा 16 विस्वा कुल किता 8 कुल रकवा 12 वीघा 19 विस्वा ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर मे स्थित है। एवं खसरा नंबर 245 रकवा 2 वीघा 9 विस्वा , खसरा नंबर 343 रकवा 7 वीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 348 रकवा 7 वीघा 16 विस्व कुल किता 3 कुल रकवा 18 वीघा 1 विस्वा ग्राम तरौली पटवार हल्का मामचारी तहसील करौली में स्थित है। जो वादीगण के पूर्वज गंगाधर के भाई सुखदेव पुत्रान दुल्ली के समय की है। जिसमें वादीगण का 2/21 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 3 छोटे का 1/21 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 तथा 4 लगायत 7 का 6/7 वां हिस्सा है। वादीगण अपने 2/21 वां हिस्सा पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। वादीया की शादी प्रतिवादी नंबर 3 के साथ करीब 15 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुयी है और प्रतिवादीगण नं0 3 के नुत्फे से वादीया नं0 1 के वादी नंबर 2 कैलाश एक पुत्र पैदा हुआ है। प्रतिवादी नंबर 3 व प्रतिवादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 व 4 लगायत 7 के प्रभाव में है और वादीगण को विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण 1 ता 7 महरूम करने पर तुले हुये है विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संयुक्त सैदायिक संपत्ति है जिसमें वादीगण का 2/21 वां हिस्सा हैं। विवादित आराजीयात को प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 को रहन वय करने का कोई कानूनी अधिकार बिना बंटवारा कराये नही हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 आपस में साज किये हुये है। और विवादित आराजीयात को दिनांक 25.5.09 को ऐलानिया रहन वय करने की कहा है। वादीगण के मना करने पर आमादा फिसाद है। इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादीगण को प्रतिवादीगण नंबर 3 ने भरण पोषण करना बंद कर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिया है और कोई भरण पोषण खर्चा प्रतिवादी नंबर 1 व प्रतिवादी नंबर 1 व प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा वादीगण को नही दिया जा रहा है जिसके लिये वादिया ने न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम.करौली में प्रतिवादी नंबर 3 के विरूद्ध भरण पोषण प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय ने वादिया को 600/—रूपये प्रतिमहा भरण पोषण राशि अदा करने को प्रतिवादी नं0 3 को आदेशित किया हुआ है फिर भी प्रतिवादी नंबर 3 ने वादिया को कोई गुजारा भत्ता राशि अदा नही की है विवादित आराजी वादीगण के 2/21 वां हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी है। और वादीगण अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। और वादीगण विवादित आराजी में अपने 2/21 वां हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण का अब विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नही है प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 वादीगण को हर प्रकार से आराजी लाभ से वंचित करने पर तुले हुये है। और वादीगण को फसल लाभ नही लेने देने पर उतारू है इसलिये वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा कराकर अलग से खातेदारी व लगान सेपरेट कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण के दिल में बदनियति आ चुका है और विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र नं0 1 से वादीगण के 2/21 वे हिस्से से वादीगण को महरूम करने पर तुले हुऐ है और प्रतिवादी 1 ता 7 विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्ति को रहन वय कर कर वादीगण को फसल लाभ नही लेने देने एवं आराजीयात से जबरन बेदखल करने कराने पर तुले हुऐ है। प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है जिससे वादीगण को भारी अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 25.5.09 को प्रतिवादी नंबर 1 ता 7 द्वारा विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्ति को रहन वय करने की ऐलानिया कहने पर वादीगण के मना करने पर नही मानने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है अतः दावा म्याद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि विवादित नंबर वाके ग्राम तरौली पटवार हल्का मामचारी में स्थित होना स्वीकार है। वाकी इबारत गलत हे और स्वीकार नही है। वादीगण का किसी भी प्रकार से हिस्सा स्वीकार नही है। नाही वादीगण का कोई कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादीगण का सजरा स्वीकार है। वादी हल्की ने पुनः दूसरी शादी नाम विवाह कर लिया है चूंकि वादिया करौली में स्थायी रूप स रहती है एवं करीबन 15 वर्ष से पति से बिना किसी युक्तियुक्त कारण से पृथक रहती है उक्त विवादित संपत्ति में वादीगण का कोई हक व हिस्सा शामिल नही है। दिनांक 25.5.09 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई ऐलानिया धमकी नही दी है दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। वादीगण को अदालत सी.जे.एम. कोर्ट करौली द्वारा 600/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता प्रतिवादी नंबर द्वारा आदेशानुसार दिया जा रहा है। वादीगण का ससुर व बाबा के नाम खातेदारी चली आ रही चूंकि खातेदारी अभी जीवित है इस कारण जीवित कृषक के जीवन पूर्व किसी भी प्रकार की हिस्सा मांगने की प्राधिकारी नही है। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें। छोटे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नं0 3 को अपनी भूमि का लाभ उठाता चला आ रहा है दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। दावा वादीगण विधि अनुसार चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य नही है इस मद में दर्ज आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है। वादीगण का उक्त आराजी से कोइ खातेदारी काश्तकार संबंध नही है नाही वादीगण का उक्त आराजी से कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है नाही वादीगा का उक्त आराजी पर कब्जा है नाही कभी पूर्व में रहा है। वादीगण का इस मद में दर्ज आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नही है। संपूर्ण आराजीयात एक मात्र प्रतिवादी संख्या 1 बलराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.5.19 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र मुझ प्रतिवादी संख्या 9 को अपनी जायज जरूरत घरेलू खर्च के लिये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विक्रय की जाकर कब्जा मुझ प्रतिवादी संख्या 9 को संभलवाया गया है। और तभी से उक्त आराजी मुझ प्रतिवादी संख्या 9 के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण ने उक्त आराजी में स्वय का 2/12 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा होना गलत दर्ज किया है। उक्त सजरा के मुताबिक भी प्रतिवादी बलराम के जीवनकाल में और प्रतिवादी छोटे के जीवित रहते हुये प्रतिवादी बलराम की मृत्यु पर भी कोई पैदा नही होते हैं। विवादित आराजी एक मात्र प्रतिवादी नं0 1 बलराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। वादीगण का प्रतिवादी छोटे की पतनी व पुत्र होने मात्र से प्रतिवादी बलराम के जीवनकाल में वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार पैदा नही होते है। वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही है और विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अभिभाजित संयुक्त सदा की संपत्ति नही है वादीगण हिन्दू विधि से शाषित नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अनुसूचित जन जाति की महिला को उत्तराधिकार मे संपत्ति प्राप्त करने का कोई विधिक प्रावधान नही हैं और मुताबिक सजरा वादीया प्रतिवादी बलराम की पुत्र वधु तथा वादी कैलाश प्रतिवादी बलराम का पोता है। प्रतिवादी छोटे के जीवन काल में उक्त दोनो वादीगण को प्रतिवादी बलराम की किसी भी जायदाद में कोई विधिक अधिकार नही है। विवादित आराजी एक मात्र प्रतिवादी बलराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और प्रतिवादी बलराम को विवादित आराजी विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार रहा है तथ प्रतिवादी बलराम ने साधिकार प्रतिफल के बदले अपने जायज जरूरत के लिये विवादित आराजी मुझ प्रतिवादी नं0 9 को विक्रय कर कब्जा संभलवाया है। वादीगण का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नही है नाही कभी पूर्व में कब्जा रहा है। वादीगण ने दावा झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों पर पेश किया है। विवादित आराजी में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है नाही विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त हैं। ना ही उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी है वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवादित आराजी में किसी भी हिस्से की घोषणा कराने के अधिकार नही है। विवादित आराजी से वादीगण का कोई संबंध नही है कोई संयुक्त कब्जा है। वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नही रहा है। विवादित आराजीयात एक मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जो आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुझ प्रतिवादी को विक्रय की जा चुकी है जिस प्रकार मै प्रतिवादी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हूं। विनाय मुखासमत दिनांक 25.5.09 को अथवा किसी अन्य दिवस को पैदा नही हुई। वादीगण ने दावा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया हे विवादित आराजी में वादीगण का कोई हक व हिस्सा कानूनन नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सैदायिकी संपत्ति नही है पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही है प्रतिवादी बलराम के जीवनकाल में किसी भी प्रतिवादी को विवादित आराजी में कोई हक हकूक नही है और प्रतिवादी बलराम को विवादित आराजी विक्रय करने का पूर्ण अधिकार रहा है। मुझ प्रतिवादी ने विवादित आराजी दिनांक 25.5.09 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय कर खरीद की है जो तथ्य रिकार्ड पर है और रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त कराये बिना दावा चलने योग्य नही है रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है और न्यायालय श्रीमानजी को उक्त बाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है इस कारण दावा खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली प्रस्तुत साक्ष्य व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार है:-

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रस्तुत की है जिसमें भूमि गंगाधर व सुखदेव पुत्रान दुल्ली की खातेदारी में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में अपना 2/21 हिस्सा होना पुश्तैनी भूमि होने से बताया है एवं मौखिक साक्ष्य में 2/21 हिस्से पर अपना कब्जा होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा वयनामा दिनांक 25.05.2009 प्रदर्श ए–1 प्रस्तुत किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण जाति से मीना होना उभयपक्ष का स्वीकृत है और मीना जनजाति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है। मीना जाति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान की धारा 2 की उप धारा 2 के तहत लागू नहीं होते है। छोटे पुत्र बलराम के जीवित रहते हुए एवं बलराम के जीवित रहते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 2/21 हिस्सा के हक हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी 2/21 हिस्सा की कराने के अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उप धारा 2 के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से वादीगण का भूमि में कोई हक हिस्सा प्रतिवादी नंबर 3 के जीवित रहते हुए प्राप्त नहीं होता है। वादीगण भूमि का किसी प्रकार का बंटवारा कराने के हकदार नहीं है। वादीगण द्वारा वयनामा प्रदर्श ए–1 को चुनौती सक्षम न्यायालय में नही दी है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा खातेदारी अधिकार नहीं होने से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। वादीगण विवाद्यक 1 ता 3 को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में वयनामा दिनांक 25.09.2009 प्रदर्श ए–1 प्रस्तुत किया है। जिसके द्वारा भूमि प्रतिवादी नंबर 1 बलराम व प्रतिवादी नंबर 1/1 भौरी पत्नि बलराम द्वारा श्रीमति खिलरो पत्नि लालपत को भूमि विक्रय की गई है। उक्त इस वयनामा को वादीगण द्वारा आज दिवस तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वादीगण व प्रतिवादीगण पर लागू नहीं होने से वादीगण को बिना वयनामा प्रदर्श ए–1 को निरस्त कराये भूमि में कोई हक कानूनन उत्पन्न नहीं होते है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण व प्रतिवादीगण जाति से मीना है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति मीना जाति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उप धारा 2 के अनुसार लागू नहीं होता है। इसलिए वादीगण कोई घोषणा खातेदारी प्रतिवादी नंबर 1 के द्वारा अपने जीवनकाल में विक्रय की गई भूमि व वादग्रस्त भूमि में कोई खातेदारी अधिकारी उत्पन्न होते है। इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 5 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि में वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उप धारा 2 के अनुसार लागू नहीं होने से उत्पन्न नहीं होते है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा वादग्रस्त आराजी की 2/21 हिस्से की घोषणा कराने एवं बंटवारा कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
दौसा (राज.)